न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 90/2021 बउनवानी राजकुमार नावरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँ
पुत्र श्री रमेश चन्द नावरिया, ग्राम व पोस्ट व तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2021/277

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी ए तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हे दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धार 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराए जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी की जमीन जिसके पुराने खाता संख्या 866 एंव नया खाता संख्या 507 एवं नामा0 संख्या 5305 दिनांक 20.9.2019 की प्रमाणित सूचना एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित सूचना
2. प्रार्थी की जमीन का नामा0संख्या 5305 दिनांक 20.9.2021 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन मे से प्रार्थी के सगे संबंधियो के कुटुम्ब कबीलो के नाम पृथक पृथक हिस्सो मे आपको प्रार्थी की जमीन बाटने का तथा उनके खाते लगाने का आदेश सहित आपको अधिकार है तो उस आदेश की प्रमाणित सूचना ओर आपको अधिकार नही हो तो अधिकार नही होने की प्रमाणित सूचना।
3. प्रार्थी की जमीन की नामा0 संख्या 5305 दिनांक 20.9.2021 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को अन्य दुसरे व्यक्तियों के खाते लगाने का आपके पास आदेश हो तो उस आदेश की प्रमाणित सूचना और आदेश नही हो तो आदेश नही होने की सूचना।
4. प्रार्थी की खातेदारी की जमीन मे से प्रार्थी के कुटुम्ब कबिलों के खाते लगाने का श्रीमान उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिकार है या नही इस बाबत सूचना।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/377 दिनांक 9.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 में चाही गयी सूचना के क्रम में तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 5146 दिनांक 13.9.2021 से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने तथा बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण दिये जाने का प्रावधान नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने तथा बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी जाने के कारण तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 5146 दिनांक 13.9.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाकर बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्राप्त की जानी चाहिए थी। शेष बिन्दुओं में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने तथा सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:36:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर